न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 37 / 2010 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर—2010 / 0008

1. मृतक श्री दौलतसिंह पिता मानसिंह राजपूत लकावत निवासी बस्सी सिंघावत पुलिस थाना सलूम्बर (राज.) के बजाय—

1/1 श्रीमती गंगाबाई पत्नि स्व. दौलतसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी बस्सी तड सिंगावत, प्रतापनगर, तह. सलुम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

1/2 श्री केसरसिंह पिता स्व. दौलतसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी बस्सी तड सिंगावत, प्रतापनगर, तह. सलुम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

1/3 श्रीमती मोती बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि उदयसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी अदवास तह. सराडा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

1/4 श्रीमती सजु बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि भवानीसिंह राजपुत उम्र बानिग, निवासी जगत, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)।

1/5 श्रीमती नाथी बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि गौतमसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी जगत, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)।

1/6 श्रीमती रूपी बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि ईश्वरसिंह राजपुत उम्र 27 वर्ष, निवासी जावद, तह. सराडा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—वादीगण

विरुद्ध

1. श्री पहाडसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
2. श्री मेघसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
3. श्री माधुसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
4. श्री ओनाडसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
5. श्री मावसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
6. श्री भारतसिंह पिता रतनसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
7. श्री नाहरसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
8. श्री देवीसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत उम्र बालिग

सभी निवासी बस्सी तड सिंघावत तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 04/11/2025

उपस्थितः— श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता —वादीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

::निर्णयः:

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि मौजा नया प्रतापनगर पटवार क्षेत्र बस्सी सामचोत तहसील सलूम्ब में आराजी नम्बर 1454/0.04, 1773/0.25, 1810/0.16, 1870/0.15, 1924/0.13, 1934/0.03, 1935/0.10, 1944/0.05, 2097/0.05,

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

2169 / 0.13, 2314 / 0.04, 2317 / 0.03, 2318 / 0.03, 3591 / 1936 कुल खेत 14 रकबा 1.21 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज वादी अकेला है एवं वादी के अलावा किसी अन्य किसी व्यक्ति अथवा प्रतिवादीगण का हक, हिस्सा, स्वामित्व आदी नही है। भूल से रकबा 2318 का 0.04 था लेकिन वर्तमान जमाबंदी में 0.03 लिख दिया है। वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में से हाल आ. नं. 2317 / 0.03, 2318 / 0.04 है परन्तु भुल से वर्तमान जमाबंदी में 0.03 हे. दर्ज हुआ है। उक्त दोनो खेत पास पास है जिसमें वादी ने अपने लिये रिहायशी मकान, मवेशी भागल, कृषि उपकरण रखने के लिये उक्त भूमि के सडक के किनारे पक्की कोट 5 पाँच ऊँची, 12 फीट चौडी व करीब 40 फीट लम्बी बनाई है ताकि प्रार्थी की जमीन की सही सुरक्षा हो सके एवं उक्त दोनो आराजियात में से मौके पर आधी से अधिक भूमि पडत है जिसमें वादी मौके पर काश्त कर रहा है।

प्रतिवादीगण जो वादी के सगे भतीजे है जो संख्या में अधिक है एवं पैसे वाले होकर ताकतवर है जो वादी को वृद्ध कमजोर गरीब समझकर उसके खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि हाल आराजी नम्बर 2317, 2318 के अन्दर से नए सिरे से रास्ता बनाकर वादी प्रार्थी की भूमि हडपना चाहते है। दिनांक 11–5–2010 को दिन में अनाधिकृत रूप से वादी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि में प्रवेश कर वादी का बनाया हुआ कोट करीब 5–7 फीट गिरा डाला इस पर वादी ने गाँव के मौतबिरों का इकट्ठा किया तो मौतबिरों ने मौका देखकर कहा कि प्रतिवादीगण ने कोट गलत गिराया है तुम वापस बना दो क्योकि प्रतिवादीगण के खेत पर आने जाने का रास्ता अन्य मौजुद है इसलिये उनको वादी के खातेदारी की भूमि में से और रास्ता देने की आवश्यकता नही है इसलिये वादी ने दिनांक 12–5–2010 को सीमेन्ट का पुनः बना दिया उसे प्रतिवादीगण ने वापिस तोड दिया उसकी वादी ने पुलिस थाना सलूम्बर में सूचना दी परन्तु पुलिस वालों ने आपस में राजीनामे की बात कही लेकिन पडी रही मामला दर्ज नहीं किया इसलिये वादी ने दुबारा तारीख 9–6–2010 को थाने में लिखित परिवाद पेश किया है। प्रतिवादीगण अपनी राजनीतिक ताकत का दुरूपयोग कर वादी को ग्राम पंचायत बस्सी सामचोत के द्वारा एक सूचना पत्र बिना तारीख बिना क्रमांक का आज प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 20–6–2010 तक जबाव नही देने तक ग्राम पंचायत ने वादी के खेत में से प्रतिवादीगण को रास्ता बनाने का आदेश देने की धमकी दी है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध शीघ्र स्थाई / अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रतिवादीगण वादीगण की कृषि भूमि पर बना कोट गिराकर अपने खेत तक आने जाने के लिये नया रास्ता बनाकर कृषि भूमि बर्बाद कर सकते है जिससे वादी अपनी कृषि भूमि पर काश्त नही कर पाएगा जिससे वादी को जो क्षति होगी उसका रूपयों पैसों में मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। वादी को अनेक वाद लाने पड़ेंगे एवं महान असुविधा होगी। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की डिकी फरमाई जावें–

(क) कि मौजा प्रतापनगर पटवार क्षेत्र बस्सी सामचोत तहसील सलूम्बर की चालू जमाबंदी नं. 116 में जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र की कम संख्या 1 एवं 2 में दे रखा है वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हाल आ.नं. 2317, 2318 में वादी के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादीगण दस्तनदाजी नहीं करे एवं नही उक्त भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करें एवं नहीं भूमि एवं उस पर बना कोट बर्बाद करें नही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरों एवं मजदुरों आदि से करावें।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(ख) कि दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादी की भूमि को बर्बाद कर दे अथवा उसमे जाने के लिये रास्ता बनवा देवे तो प्रतिवादीगण के खर्चे से आदेशात्मक निषेधाज्ञा से पूर्ववत कृषि भूमि बनवाई जावे एव खर्चा प्रतिवादीगण से वसूल किया जावे।

(ग) कि अन्य उचित एव आवश्यक दाद व वाद व्यय वादी को दिलवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता ने वकालतनामा पेश किया तथा उक्त वाद मे प्रतिवादीगण का जवाब दावा व क्रोस वाद पेश किया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे मे अंकित किया कि वादपत्र मे वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पति है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने सहमती से बटवाड कर अलग-अलग अपने खाते करा कब्जा आज तक चला आ रहा है, किन्तु कृषि भूमि व मकानो पर आने जाने के रास्ते पानी की नालिया, कुँआ सार्वजनिक रखे व पूर्व से जैसे है वैसे ही यथावत् रखने को सभी सहमत हुए इसलिए वादी व प्रतिवादीगण के रिहायसी मकानो के आगे दक्षिण दिशा मे सभी की कृषि भूमि के आगे दक्षिण दिशा मे सभी की कृषि भूमि है, जिस पर व मुख्य रास्ते पर जाने हेतु कृषि भूमि के उत्तर दिशा मे व मकानो के दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम वादी व प्रतिवादीगण का सामुहिक रास्ता 15 पन्द्रह फीट चौड़ा है जो पुश्तैनी रास्ता है जो बटवाड पूर्व का है जिसका उपयोग उपभोग वादी प्रतिवादीगण सदीप से करते आ रहे है, प्रतिवादीगण के खेत व मकान पर आने-जाने का एक मात्र रास्ता है जिसे वादी जबरन बन्द करना चाहता है, वादी भी जानता है कि रास्ता सार्वजनिक है, पुश्तैनी है जिसे किसी को भी बन्द करने का अधिकार नही है, इसी बात को ध्यान मे रखते हुए वादी ने अपने मकान व खेत की पक्की बाउण्ड्री बनाई तब भी वादी ने रास्ते की भूमि खुली छोड रखी है किन्तु अब वादी रास्ता बन्द करना चाहता है जिसका की उसे कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण के मकान व खेत पर जाने का यह ही एक मात्र सार्वजनिक रास्ता है, इसी लिए राजस्व रेकार्ड मे वादी के भूमि 0.03 हेक्टर ही दर्ज हुई है, जो रास्ता छुटने के कारण दर्ज हुई है न की गलती से कम दर्ज हुई है, भूमि वादी के खाते होने का नाजायज फायदा उठा वादी सदीप से बने रास्ते को रोककर अवरोध पैदा करना चाहता है। मामला ग्राम पंचायत बस्सी सामचोत का ही रास्ते का होने से प्रतिवादीगण ने प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत बस्सी सामचोत मे प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत ने दोनो पक्षो को सूचना पत्र जारीकर मौके का निरीक्षण किया तो मौके पर रास्ता होना पाया जिस पर ग्राम पंचायत ने वादी को रास्ता नही रोकने की हिदायत दी पर वादी नही माना व आये दिन अपरोध पैदा कर रहा है, आज भी मौके पर रास्ता है जिसका कब्जा प्रतिवादीगण उपयोग कर रहे है, जिसे वादी बन्द करना चाहता है जिस हेतु वादी ने सरासर जानते हुए झुठा दावा प्रस्तुत किया है जो खारीज योग्य है । प्रतिवादीगण के कृषि प्रयोजनार्थ का एक मात्र रास्ता वादग्रस्त भूमि का ही है, रास्ता वर्षो पूर्व का होने व ईजमेन्ट राईट के तहत भी प्रतिवादीगण को वादी को रोकने का हक नही है, दावा वादी खारीज योग्य है। अतः जवाब मे प्रार्थना है कि दावा वादी सव्यय खारीज फरमाया जावे ।

प्रतिवादीगण ने वादी के विरूद्ध क्रोस वाद पेश कर अंकित किया कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की कृषी भूमी मौझा प्रतापनगर प.स. बस्सी सामचोत तह. सलूम्बर मे स्थित है जिस पर आने-जाने का एकमात्र रास्ता निम्नांकित आराजियात मे बना हुआ है जिसका वादी व प्रतिवादीगण पुश्तैनी समय से आज तक बेरोक टोक उपयोग, उपभोग करते आ

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

रहे हैं, जिसके आ.न. 2317, 2318 हैं। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं जिनके मध्य आपसी भूमी के बटवाड मौके पर वर्षो पूर्व हो चुके हैं जिसमे आंगन, खेतो पर आने–जाने के रास्ते, पानी की नालिया, खेत पिलाई की नालिया जैसी हैं वैसी ही रहेगी जिसका सभी उपयोग, उपभोग करते रहेंगे जिन्हे कोई भी कभी रोकेंगे नही, यथावत् रहेंगे इस सहमती के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के खेतो पर आने–जाने का एक 15 फीट (पन्द्रह फीट) चौडा रास्ता पूर्व से पश्चिम हैं जो पश्चिम दिशा के मुख्य रास्ते पर मिलता हैं जहाँ से खेतो पर आने जाने का एक मात्र कृषि रास्ता उक्त क्रोस वाद के कलम सं. एक में वर्णित आराजियात से होकर जाता हैं जिसका मौके पर रास्ता स्वरूप हैं जिसे किसी भी पक्ष को रोकने का हक अधिकार नही हैं, सेटलमेन्ट के समय मौके पर रास्ता होने से आ. न. का रकबा 0.04 हेक्टर के बजाय 0.03 हेक्टर दर्ज किया हैं क्योकि मौके पर रास्ता बना हुआ हैं। क्रोस वाद के कलम सं. 1 एक से वर्णित आराजीयात में से सदिप से करीब 50–60 सालो से रास्ता बना हुआ हैं जिसका आज तक प्रतिवादीगण बेरोक टोक उपयोग करते आ रहे हैं व आज भी मौके पर स्वरूप रास्ता ही हैं, जिस पर वादी जबरन कब्जा कर निर्माण कर रोकने को आमदा हो रहा है, इसलिए इस रास्ते को राजस्व रेकार्ड में रास्ता घोषित करना आवश्यक हो गया हैं जिस हेतु प्रतिवादीगण का घोषणा का क्रोस वाद पेश हैं। मौके पर रास्ता सहमती से वर्षो पूर्व से बना हुआ है जो कृषि रास्ता है, मौके पर स्वरूप भी रास्ते का है, प्रतिवादीगण के खेतो पर आने–जाने का एकमात्र यह रास्ता हैं, वादी के हिस्से मुख्य रास्ते से सटमा भूमी आई हैं, उसके बाद प्रतिवादीगण की भूमि हैं। वादी ने बाउण्ड्री वाल बनाई तब भी रास्ते की भूमि मौके पर छोड दी है किन्तु अब वादी जबरन रास्ते में अवरोध पैदा करना चाहता हैं जिस हेतु आये दिन वादी काटे, पत्थर, लकडिया डाल रास्ते को अवरूद्ध कर रहा हैं जिसका कि उसे कोई हक, अधिकार नही है, वादी को ग्राम पंचायत व प्रतिवादीगण व केई लोगो ने समझाया पर नही मान रहा हैं व रास्ते पर निर्माण करने का आमदा हो रहा हैं इस कारण प्रतिवादीगण को वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का यह क्रोस वाद प्रस्तुत करना पड रहा हैं। अतः एवं प्रार्थना की जाती हैं कि–

(क) क्रोस वाद के कलम सं. एक में वर्णित आराजीयात में स्थित रास्ते पर वादी कोई अवरोध पैदा नहीं करे व करावे इस आश्रय की डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी सादिक फरमावें ।

(ख) कि क्रोस वाद में वर्णित आराजीयात में से 15 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ता घोषित फरमा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की डिक्री सादिक फरमायें ।

(ग) कि कोस वाद के कलम सं. एक में वर्णित आराजीयात का रास्ता का उपयोग सदीप से होने से इजमेन्ट्री राईट के तहत प्रतिवादीगण के पक्ष में रास्ता घोषित फरमावें ।

(घ) कि दौहराने वाद अगर वादी रास्ता रोक देता हैं तो उसे आदेशात्मक व्यादेश से पुनः खुलवाने का आदेश फरमावें ।

क्रोसवाद की एक प्रति वादी को दिलाई गई। उपर्युक्त प्रतिवादीगण के क्रोस वाद का वादी ने प्रारम्भिक आपत्ति के साथ अंकित किया कि वादी का वाद सिर्फ स्थाई व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का है एवं प्रतिवादी ने वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

में प्रतिवादी का कोई रास्ता नही है एवं रास्ते की घोषणा करने का वाद राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नही है इसलिये यह कोस वाद काबिल निरस्त के है। तथा क्रोस वाद के जवाब मे अंकित किया कि प्रतिवादीगण की भूमि व घरों के सामने रास्ता आज मौजुद है इसलिये वादीगण के खेतों में से नया रास्ता की घोषणा करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का नही होने से प्रतिवादीगण का क्रोस वाद काबिल निरस्त के है।

प्रतिवादीगण को वादी के खातेदारी की भूमि में रास्ता की घोषणा कराने का अधिकार नही है एवं प्रतिवादीगण रास्ते बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध जारी कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण गलत है एवं वादी के विरूद्ध किसी प्रकार की घोषणा अथवा स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण का कोस वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे। वादी को विशेष हर्जाना दिलवाया जावें।

प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया मौजा प्रतापनगर की आराजी नम्बर 2317 व 2318 वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक से दर्ज है। प्रतिवादीगण जबरन दखलन्दाजी करते है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

–बजिम्मे वादी

2. आया दौराने वाद वाद वर्णित आराजी वर रास्ता बना लेवे तथा भूमि को बर्बाद करते है तो स्वयं प्रतिवादीगण के खर्चे से पूर्व अनुसार कृषि बनाने का खर्चा व हर्जाना प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का वादी अधिकारी है।

–बजिम्मे वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मकानो पर आने जाने का रास्ता पुश्तैनी है। जिससे यह वादावा चलने योग्य नही है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

4. दादरसी

वादी ने अपने वाद पत्र की समर्थन मे स्वयं बतौर गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हाजिर आये एवं चीफ कराकर बयान दर्ज कराये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1 संवत् 2063 की जमाबंदी खाता संख्या 116 व प्रदर्श 2 नया नक्शा ट्रेस पेश किये। प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई गवाह पेश नही किये न ही दस्तावेज प्रदर्शित कराये। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस मे अपने वादपत्र एवं क्रोसवाद के जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का वाद स्थाई व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का है एवं प्रतिवादी ने वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी का कोई रास्ता नही है एवं रास्ते की घोषणा करने का वाद राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नही है इसलिये यह क्रोस वाद काबिल निरस्त के है। वादी वाग्रस्त आराजीयात का रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हाल आ.नं. 2317, 2318 में वादी के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में प्रतिवादीगण दस्तनदाजी नहीं करे इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस मे अपने जवाब एवं क्रोस वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पति हैं जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने सहमती से बटवाड कर अलग–अलग अपने खाते करा कब्जा आज तक चला आ रहा हैं, किन्तु कृषि भूमि व मकानो पर आने जाने के रास्ते पानी की नालिया, कुँआ सार्वजनिक रखे व पूर्व से जैसे हैं वैसे ही यथावत् रखने को सभी सहमत हुए इसलिए वादी व प्रतिवादीगण के रिहायसी मकानो के आगे दक्षिण दिशा में सभी की कृषि भूमि के आगे दक्षिण दिशा में सभी की कृषि भूमि हैं, जिस पर व मुख्य रास्ते पर जाने हेतु कृषि भूमि के उत्तर दिशा में व मकानो के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम वादी व प्रतिवादीगण का सामुहिक रास्ता 15 पन्द्रह फीट चौडा हैं जो पुश्तैनी रास्ता है जो बटवाड पूर्व का हैं जिसका उपयोग उपभोग वादी प्रतिवादीगण सदीप से करते आ रहे हैं, प्रतिवादीगण के खेत व मकान पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता हैं जिसे वादी जबरन बन्द करना चाहता हैं, वादी भी जानता हैं कि रास्ता सार्वजनिक हैं, पुश्तैनी हैं जिसे किसी को भी बन्द करने का अधिकार नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वादी ने अपने मकान व खेत की पक्की बाउण्ड्री बनाई तब भी वादी ने रास्ते की भूमी खुली छोड रखी हैं किन्तु अब वादी रास्ता बन्द करना चाहता है जिसका की उसे कोई हक अधिकार नही हैं। अतः वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण का क्रोस वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– आया मौजा प्रतापनगर की आराजी नम्बर 2317 व 2318 वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक से दर्ज है। प्रतिवादीगण जबरन दखलन्दाजी करते है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

यह तनकी साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने समर्थन प्रस्तुत प्रदर्श 1 जामबंदी संवत् 2063 खाता संख्या 116 आराजी नम्बर 2317/0.03, 2318/0.03 वादी के नाम दर्ज अंकित है। वादी गवाह श्री दौलतसिंह के शपथ–पत्र तथा जीरह एवं प्रतिवादी के जवाब दावे में अंकित कथनो से जाहिर है कि वादपत्र में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने सहमती से बटवाड कर अलग–अलग दर्ज है। वादी ने अपने समर्थन प्रस्तुत प्रदर्श 1 जामबंदी संवत् 2063 खाता संख्या 116 आराजी नम्बर 2317/0.03, 2318/0.03 वादी के नाम दर्ज अंकित है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब एवं क्रोस वाद मे मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं जिनके मध्य आपसी भूमि के बटवाडे मौके पर वर्षो पूर्व हो चुके है जिसमे आंगन, खेतो पर आने–जाने के रास्ते, पानी की नालिया, खेत पिताई की नालिया जैसी हैं वैसी ही रहेगी जिसका सभी उपयोग, उपभोग करते रहेंगे जिन्हे कोई भी कभी रोकेंगे नही, यथावत् रहेंगे इस सहमती के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के खेतो पर आने–जाने का एक 15 फिट पन्द्रह फिट चौडा रास्ता पूर्व से पश्चिम हैं जो पश्चिम दिशा के मुख्य रास्ते पर मिलता है जहा से

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

खेतो पर आने जाने का एक मात्र कृषि रास्ता वादग्रस्त आराजीयात से होकर जाता है जिसका मौके पर रास्ता स्वरूप हैं जिसे किसी भी पक्ष को रोकने का हक अधिकार नही है, सेटलमेन्ट के समय मौके पर रास्ता होने से आराजी नम्बर 2318 का रकबा 0.04 के बजाय 0.03 हैक्टेयर दर्ज किया है क्योंकि मौके पर रास्ता बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र के खण्डन एवं अपने क्रोसवाद के समर्थन मे कोई दस्तावेज एवं गवाह पेश नही किये जिससे प्रतिवादीगण के कथनो की पुष्टि हो। वादी गवाह दौलतसिंह ने अपनी जीरह मे कथन किया है कि यह कहना सही है कि मेरे मकान व खेत के बीच में मेरा रास्ता मेने छोड रखा है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगणो के मकान व खेत मे आम रास्ता नही है। तथा अन्त मे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मौके पर रास्ता हो और उस रास्ते का प्रतिवादीगण तथा गांव के अन्य लोग आम रास्ते का उपयोग। उपभोग में ले रहे हो। वादी ने अपने वाद पत्र मे आराजी नम्बर 2318 का रकबा 0.04 हैक्टेयर था लेकिन वर्तमान जामबंदी मे 0.03 है लिख दिया है वादी ने अपने समर्थन मे हाल एवं साबिक खाते की नकले नही पेश कि है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि वादी के आराजी का रकबा कम हुआ हो। वादी आराजी नम्बर 2317 / 0.03, 2318 / 0.03 का रेकार्डेड खातेदार दर्ज अंकित है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया दौराने वाद वाद वर्णित आराजी पर रास्ता बना लेवे तथा भूमि को बर्बाद करते है तो स्वयं प्रतिवादीगण के खर्चे से पूर्व अनुसार कृषि बनाने का खर्चा व हर्जाना प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का वादी अधिकारी है।

यह तनकी साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने वाद पेश करने के बाद दौराने वाद वाद वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता बना कर फसल बर्बाद की हो इसका कोई प्रमाण पत्रावली पर नही होने से यह तनकी वादी साबित करने मे असफल रहे है।

तनकी नमबर 3– आया वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मकानो पर आने जाने का रास्ता पुश्तैनी है। जिससे यह दावा चलने योग्य नही है?

यह तनकी साबित करनें का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र के खण्डन मे एवं अपने क्रोस वाद के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नही किये जिससे यह तथ्य साबित हो की वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मकानो पर आने जाने का रास्ता पुश्तैनी है। अतः साक्ष्य के अभाव मे प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित नही पाई जाती है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.

उनवान–मृतक दौलतसिंह के बजाय गंगाबाई बनाम श्री पहाडसिंह

वाद संख्या–37 / 2010
वाद अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट.

बहस मनन की गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तनकी नम्बर 1 वादीगण साबित करने मे सफल रहे है। प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र के खण्डन मे एवं अपने क्रोसवाद के समर्थन मे न तो कोई साक्ष्य पेश की न ही गवाह पेश कराये। प्रतिवादीगण को अपने आराजीयात की भूमि तक पहुच हेतु रास्ते की समस्या हे तो प्रतिवादीगण विधिक प्रावधान व प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय मे उचित धारा मे वाद / प्रार्थना पत्र पेश कर दाद प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। वादी आराजी नम्बर 2317 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 2318 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण का क्रोस वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाना एव वादी का वाद बाबत् डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण का क्रोसवाद खारिज किया जाता है एवं वादी का दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 2317 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 2318 रकबा 0.03 हैक्टेयर मौजा प्रतापनगर पटवार हल्का बस्सीसामचोत तहसील सलूम्बर पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 37/2010 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2010/0008

1. मृतक श्री दौलतसिंह पिता मानसिंह राजपूत लकावत निवासी बस्सी सिंघावत पुलिस थाना सलूम्बर (राज.) के बजाय–

1/1 श्रीमती गंगाबाई पत्नि स्व. दौलतसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी बस्सी तड सिंगावत, प्रतापनगर, तह. सलुम्बर, हाल जिला सलुम्बर (राज.)।

1/2 श्री केसरसिंह पिता स्व. दौलतसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी बस्सी तड सिंगावत, प्रतापनगर, तह. सलुम्बर, हाल जिला सलुम्बर (राज.)।

1/3 श्रीमती मोती बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि उदयसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी अदवास तह. सराडा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

1/4 श्रीमती सजु बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि भवानीसिंह राजपुत उम्र बानिग, निवासी जगत, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)।

1/5 श्रीमती नाथी बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि गौतमसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी जगत, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)।

1/6 श्रीमती रूपी बाई पुत्री स्व. दौलतसिंह राजपुत, पत्नि ईश्वरसिंह राजपुत उम्र 27 वर्ष, निवासी जावद, तह. सराडा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–वादीगण

विरुद्ध

1. श्री पहाडसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
2. श्री मेघसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
3. श्री माधुसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
4. श्री ओनाडसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
5. श्री मावसिंह पिता तखतसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
6. श्री भारतसिंह पिता रतनसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
7. श्री नाहरसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत उम्र बालिग
8. श्री देवीसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत उम्र बालिग

सभी निवासी बस्सी तड सिंघावत तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

डिक्री दिनांकः– 04/11/2025

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण/क्रोसवाद प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादीगण/क्रोसवाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 04/11/25 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि प्रतिवादीगण का क्रोसवाद खारिज किया जाता है एवं दावा वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 2317 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 2318 रकबा 0.03 हैक्टेयर मौजा प्रतापनगर पटवार हल्का बस्सीसामचोत

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

तहसील सलूम्बर पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिकी आज दिनांक 04/11/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	05	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	05	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	11	–	योग	00	–

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर